प्रेषक,

उप निदेशक मत्स्य,
लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0, लखनऊ ।

पत्रांक– 913 /कोर्टकेस/2024–25,

दिनांकः 18-1-2025

विषय– **एक्जीक्यूशन केस नं0–45/2024, कु0 चैनावती बनाम एम0डी0 मत्स्य विभाग, उ0प्र0 व अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय पत्रांक–895/कोर्टकेस/2024–25, दिनांक 13.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके क्रम में सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, लखनऊ के पत्रांक–586/कोर्टकेस/2024–25, दिनांक 17.01.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि एक्जीक्यूशन केस नं0–45/2024, कु0 चैनावती बनाम एम0डी0 मत्स्य विभाग, उ0प्र0 व अन्य प्रकरण की **अगली सुनवाई दिनांक 06.02.2025 निर्धारित** की गयी है। (प्रतिसंलग्न)

प्रश्नगत प्रकरण में आपके कार्यालय पत्रांक–08/सा0शा0/चकमल्हौरी/2024–25, दिनांक 13.01.2025 के द्वारा कई महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध कराये गये हैं, जिसकी जानकारी इस कार्यालय को बिल्कुल भी नही है। जैसाकि आपके उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है, कि उक्त प्रकरण से संबंधित नियमित वाद संख्या 1691/2015 कु0 चैनावती बनाम एम0डी0 मत्स्य विभाग, उ0प्र0 व अन्य की नियमित सुनवाई की तिथियों की कोई जानकारी प्राप्त न होने व पार्टी संख्या–1 के स्तर से कोई भी प्रतिवाद न हो पाने के कारण एक पक्षीय आदेश पारित हो गया है। उक्त प्रकरण में ही भूमि संख्या 17स की पैमाइस के संबंध में उप जिलाधिकारी लखनऊ समक्ष योजित वाद संख्या 1683/2020 चैनावती बनाम ग्राम सभा व अन्य में दिनांक 18.11.2023 को भी आदेश पारित किया गया है, जिससे क्षुब्ध हो कर वादिनी द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त प्रशासन लखनऊ मण्डल के समक्ष वाद संख्या 3864/2023 चैनावती बनाम अन्य याजित किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

उक्त से स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा दायर विभिन्न वादो में उप निदेशक मत्स्य, लखनऊ मण्डल को पार्टी नहीं बनाया गया है। मा0 न्यायालय में दायर वादो में निदेशक/प्रबन्ध निदेशक ही पार्टी हैं, जिसकी सूचना एवं मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्गत नोटिस सम्बन्धी विवरण मत्स्य निदेशालय में ही उपलब्ध है। आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13.01.2025 द्वारा नियमित वाद संख्या 1691/2015 कु0 चैनावती बनाम एम0डी0 मत्स्य विभाग उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.07.2024 को रिकॉल किये जाने तथा एक्जीक्यूशन केस नं0–45/2024, के निस्पादन पर आपत्ति दाखिल कराने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा प्रकरण की अगली सुनवाई की तिथि 06.02.2025 निर्धारित की गयी है।

अतः जिलाशासकीय अधिवक्ता (सिविल) के माध्यम से प्रकरण में उपरोक्त समस्त तथ्यों को संज्ञान में लाते हुये आपत्ति दाखिल करने की विधिपूर्वक कार्यवाही के सम्बन्ध में उचित होगा कि प्रकरण से सम्बन्धित **मत्स्य निदेशालय के पटल सहायक एवं पटल अधिकारी को भी नामित किया जाये, जो सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, लखनऊ के साथ प्रकरण की तथ्यपरक आख्या तैयार करते हुये सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मा0 न्यायालय में आपत्ति दाखिल करने की कार्यवाही निर्धारित तिथि 06.02.2025 से पूर्व पूर्ण करेंगे**, जिस हेतु कृपया निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
18/1/2025
(डा0 हरेन्द्र प्रसाद)
उप निदेशक मत्स्य, लखनऊ।

पत्रांक– /कोर्टकेस/2024–25, उक्त दिनांक।

1–प्रतिलिपि–सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, लखनऊ को उनके पत्रांक–586/कोर्टकेस/2024–25, दिनांक 17.01.2025 के क्रम में इस निर्देश के साथ कि मत्स्य निदेशालय से समन्वय स्थापित करते हुये समयान्तर्गत आपत्ति दाखिल कराने की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

2–प्रतिलिपि–महानिदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

//
(डा0 हरेन्द्र प्रसाद)
उप निदेशक मत्स्य, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner